न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

2015RAAJu223RTA058 Chatarsingh etc Vs Sayar Kanwartc

1. चतरसिंह पुत्र स्व. श्री गंगाराम जी जाति माली,
2. बलवीरसिंह पुत्र स्व. श्री गंगाराम जी, जाति माली,
3. प्रेमसिंह पुत्र स्व. श्री गंगाराम जी, जाति माली,
   सभी निवासी पदाला बेरा मण्डोर जोधपुर।

----- अपीलाण्ट्स

ब

ना

म

1. सायर कंवर पत्नी श्री जगदीशसिंह,
2. मंजु कच्छवाहा पुत्री जगदीशसिंह,
3. धमेन्द्रसिंह पुत्र जगदीशसिंह,
4. महावीरसिंह पुत्र जगदीशसिंह,
5. प्रियतमा उर्फ बेबसा पुत्री जगदीशसिंह,
6. शांतिदेवी पत्नी स्व. श्री रामलाल जाति माली
7. आनंदसिंह पुत्र स्व. श्री रामलाल जी जाति माली
8. मूलसिंह पुत्र स्व. श्री रामलाल जी के कायम मुकामः -
   8/1. पदमसिंह पुत्र स्व. मूलसिंह
   8/2. चेतनसिंह पुत्र स्व. मूलसिंह निवासीयान् बड़ा बेरा मण्डोर जोधपुर।
   8/3. श्रीमती अनिता पुत्री स्व. मूलसिंह धर्मपत्नी ज्ञानसिंह जी परिहार, निवासी कागा महामंदिर जोधपुर।
   8/4. श्रीमती शर्मिला पुत्री स्व. मूलसिंह जी धर्मपत्नी चन्द्रसिंह जी, निवासी राजमहल कुल के पास गुलाब सागर जोधपुर।
   8/5. मनोहरसिंह पुत्र प्रेम जी कच्छवाहा (मृतक पुत्र नीतु का पति)
   8/6. राघवेन्द्र पुत्र मनोहरसिंह (दोहिता, नाबालिग जरिये कुदरती पिता मनोहरसिंह) निवासी रूपावतो का बास काली बेरी जोधपुर।
9. श्रीमती दाखुदेवी पत्नी स्व. श्री धनसिंह जी जाति माली
10. गोविंदसिंह पुत्र स्व. श्री धनसिंह जी जाति माली
11. ओमप्रकाश पुत्र स्व. श्री धनसिंह जी जाति माली
12. ओमकारसिंह पुत्र स्व. श्री धनसिंह जी जाति माली
13. सुरेन्द्रसिंह पुत्र स्व. श्री धनसिंह जी जाति माली
14. मुन्नीदेवी देवी पुत्री स्व. श्री धनसिंह जी जाति माली

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

15. कौशल्या देवी पुत्री स्व. श्री धनसिंह जी जाति माली
16. शारदा देवी पुत्री स्व. श्री धनसिंह जी जाति माली
17. मंजु पुत्री स्व. श्री धनसिंह जी जाति माली
18. अणदीदेवी पत्नी स्व. श्री गिरधारीसिंह जी जाति माली
19. राजेन्द्रसिंह पुत्र स्व. श्री गिरधारीसिंह जी जाति माली
20. महेश पुत्र स्व. श्री गिरधारीसिंह जी जाति माली
21. पूनमसिंह पुत्र स्व. श्री गिरधारीसिंह जी जाति माली
22. बेबी पुत्री स्व. श्री गिरधारीसिंह जी जाति माली
    सभी निवासी बडा बेरा मण्डोर जोधपुर।
23. छंवरसिंह पुत्र स्व. श्री दयाराम के कायम मुकामः -
    23/1. तारादेवी धर्मपत्नी स्व. छंवरसिंह उर्फ छंवरलाल
    23/2. नेमीचंद पुत्र स्व. छंवरसिंह उर्फ छंवरलाल
    23/3. करणसिंह पुत्र स्व. छंवरसिंह उर्फ छंवरलाल
    तीनो निवासी- बडा बेरा मण्डोर जोधपुर।
    23/4. विमलादेवी सांखला धर्मपत्नी कैलाश जी सांखला पुत्री स्व. छंवरसिंह उर्फ छंवरलाल जी जाति माली निवासी वार्ड नम्बर 42 सूर्य कॉलोनी पांच बत्ती चौराहा रातानाडा जोधपुर।
    23/5. गुड्डी देवी धर्मपत्नी श्री रामसिंह परिहार पुत्री स्व. छंवरसिंह उर्फ छंवरलाल, जाति माली निवासीह जूनी बागर महामंदिर ब्रहमसिंह परिहार के मकान के पास जोधपुर।

24. छोटूराम पुत्र स्व. श्री दयाराम जी जाति माली
25. प्रेमसिंह पुत्र स्व. श्री दयाराम जी जाति माली
26. सोहनसिंह पुत्र स्व. श्री दयाराम जी जाति माली
    निवासी बडा बेरा मण्डोर जोधपुर।
27. जयसिंह पुत्र स्व. श्री दयाराम के कायम मुकामः -
    27/1. भीकसिंह पुत्र स्व. जयसिंह जाति माली, निवासी बडा बेरा मण्डोर जोधपुर।
    27/2. हेमलता धर्मपत्नी जेठुसिंह पुत्री स्व. स्व. जयसिंह जाति माली, निवासी सोढो की ढाणी काली बेरी सूरसागर।
    27/3. कुसुम धर्मपत्नी राजेन्द्र जी परिहार पुत्री स्व. स्व. जयसिंह जाति माली, निवासी मोलूडा बेरा आदर्श बस्ती के पीछे नागौरी बेरा मण्डोर जोधपुर।
    27/4. सुमन धर्मपत्नी रुकमणसिंह पुत्री स्व. जयसिंह जाति माली,

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

निवासी 8 मील चूंगी नाके के पास बारली मण्डावता मण्डोर जोधपुर।

28. भंवरी देवी पत्नी स्व. श्री संतोकसिंह जी जाति माली
29. बलवीरसिंह पुत्र स्व. श्री संतोकसिंह जी जाति माली
निवासीयान बडा बेरा मण्डोर जोधपुर।
30. नरपतसिंह पुत्र स्व. श्री संतोकसिंह के कायम मुकामः -
30/1. सुमित्रा बेवा नरपतसिंह, जाति माली निवासी बी.एस.एन.एल. टॉवर के पास आमली बेरा मण्डोर।
30/2. रोहित उर्फ ललित पुत्र नरपतसिंह, जाति माली निवासी बी.एस.एन. एल. टॉवर के पास, आमली बेरा मण्डोर जोधपुर।
30/3. खुशबु पुत्री नरपतसिंह धर्मपत्नी रामेश्वर जी सांखला, जाति माली, निवासी मानसागर, महामंदिर जोधपुर।
31. सरस्वतीदेवी पुत्री स्व. श्री संतोकसिंह जी जाति माली
32. सुशीला देवी पुत्री स्व. श्री संतोकसिंह जी जाति माली
33. श्रीमती दुर्गेश कुमारी पत्नी स्व. श्री गोविंदसिंह जी माली
34. गंगा पत्नी स्व. श्री मंगलसिंह जी जाति माली
35. गणपतसिंह पुत्री श्री अचलसिंह जी जाति माली
36. शांतिदेवी पत्नी स्व. श्री नरसिंह के कायम मुकामः -
36/1. नरेन्द्र गहलोत पुत्र स्व. श्री नरसिंह जी, निवासी 16-एफ ब्लॉक, मस्जिद के पास श्रीगंगानगर।
36/2. राजेन्द्रसिंह गहलोत पुत्र स्व. श्री नरसिंह जी,
36/3. संजय गहलोत पुत्र स्व. श्री नरसिंह जी,
36/4. पवन गहलोत पुत्र स्व. श्री नरसिंह जी, तीनो निवासी बडा बेरा मण्डोर जोधपुर।
36/5. प्रेमलता कच्छावाह धर्मपत्नी विक्रमसिंह जी कच्छावाह, निवासी देव संचार एस टी डी महामंदिर रेलवे स्टेशन के पीछे, महामंदिर जोधपुर।
36/6. राजश्री कच्छवाह धर्मपत्नी स्व. गगनदीप कच्छावाह निवासी सुभाष चौक उपर की गली, सूरसागर।
36/7. सीमा कच्छावाह धर्मपत्नी भजनसिंह कच्छावाह, निवासी सिंधियों की गली सूरसागर।
37. श्रीमती चन्दु देवी पुत्री स्व. श्री गंगाराम जी पत्नी प्रेमसिंह टाक, जाति माली निवासी टंको का बास, मंगरा पूंजला जोधपुर।
38. श्रीमती लीला पुत्री स्व. श्री गंगाराम जी पत्नी लादूराम जी सांखला, जाति माली, निवासी सांखलो का बास मंगरा पूंजला जोधपुर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

39. श्रीमती तारा पुत्री स्व. श्री गंगाराम जी पत्नी गजेन्द्रसिंह सांखला, जाति माली, निवासी बालाजी विहार नगर लाला बेरा मण्डोर जोधपुर।
40. मोहनी उर्फ रुकीयादेवी पत्नी स्व. श्री नरसिंह के कायम मुकामः -
    40/1. छोटादेवी धर्मपत्नी स्व. सम्पतसिंह जी सांखला, जाति माली, निवासी नयापुरा मण्डोर जोधपुर।
    40/2. गीतादेवी धर्मपत्नी श्री जयसिंह जी सांखला, जाति माली निवासी सांखलो का बास मंगरा पूंदला जोधपुर।
41. खेमसिंह पुत्र स्व. श्री नरसिंह जी जाति माली निवासी पदाला बेरा मण्डोर जोधपुर।
42. चेतन पुत्र स्व. श्री नरसिंह जी जाति माली निवासी पदाला बेरा मण्डोर जोधपुर।
43. हरिसिंह पुत्र स्व. श्री नरसिंह जी, जाति माली निवासी पदाला बेरा मण्डोर जोधपुर।
44. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जोधपुर।

----- रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी जोधपुर दिनांक 11 नवम्बर 2014 राजस्व वाद संख्या 107/2011 बअनवान जगदीश सिह बनाम यशोदा देवी इत्यादि

----- 0 -----

2015RAAJu223RTA058 Chatarsingh etc Vs Sayar Kanwartc

उपस्थित-

श्री सत्यनारायण राजपुरोहित, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री बीरबलराम विश्नोई, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2 से 5, 8/1 से 8/5, 19 से 21, 23/1 सें 23/5, 27/1 से 27/4, 33, 36/1,
श्री आर.जी. दवे अधिवक्ता- रेस्पोडेंट संख्या 33
श्री गजेन्द्र सांखला अधिवक्ता- रेस्पोडेंट संख्या 39
श्री सुगनमल परिहार,श्री सिद्धार्थ परिहार अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 42
श्री दुदाराम चौधरी राजकीय अधिवक्ता- रेस्पोडेंट संख्या 44

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

श्री दूदाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या आठ

नि र्ण य

दिनांक : 14 जनवरी, 2020

अपीलाण्टस ने यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 107/2011 जगदीश सिंह बनाम यशोदा देवी इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11 नवम्बर 2014 के खिलाफ अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 07 अप्रेल 2015 को पेश की है।

अपील के साथ भारतीय समय सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत एक प्रार्थनापत्र मय शपथ पत्र पेश कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

इस प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट जगदीशसिंह वगैरह ने एक वाद बाबत घोषणा एवं बंटवाड़ा का अधीनस्थ न्यायालय में ग्राम मण्डोर दित्तीय तहसील एवं जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 423 व 531 की भूमि के संबंध में प्रस्तुत किया, जिसमें यशोदादेवी वगैरह कुल 08 प्रतिवादी थे। सभी प्रतिवादी की ओर से सामलाती जवाब दावा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिसमें यह अंकित किया गया कि खसरा नंबर 423 एवं 531 की भूमि केवल प्रतिवादीगण के खातेदारी एवं कब्जा काश्त में शुरु से चली आ रही है। वादीगण का उक्त में कोई हक नहीं है उक्त जवाबदावे के पेज नम्बर 06 के पैरा नंबर 04 में यह अंकित किया गया है कि सह-खातेदारों के मध्य काफी वर्षो पूर्व बंटवाड़ा हो गया, जिसके अनुसार खसरा नंबर 531 तो गंगाराम जी के बंट व कब्जे में रहा तथा खसरा नंबर 423 नरसिंह जी के बंट में रहा। उक्त में वाद में वादी की ओर से कोई

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

साक्ष्य पेश नही की गई, परन्तु प्रतिवादी संख्या 2/1 से लेकर 2/4 ने गलत तरीके से जवाब दावा के तथ्यों के विपरीत जाकर धारा 209 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने ग्राम मण्डोर के खसरा नं. 531 की 04 बीघा भूमि का 1/2 भाग का प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/3 को, 1/2 भाग प्रतिवादी संख्या 2 से 2/4 व खसरा नम्बर 423 की 6 बीघा 12 बिस्वा का प्रतिवादी संख्या 2 से 2/4 को खातेदार घोषित किया, जिसके विरुद्ध अपील अदालत हाजा में दिनांक 07 अप्रेल 2015 को पेश की गयी।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट्स नें अपील के संबंध में अपनी बहस में तथ्यों एवं अपील मीमों में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि--

- अधीनस्थ न्यायालय ने जहां तक धारा 209 के तहत खसरा नं. 531 एवं 423 की खातेदारी दी है, उस हद तक तो अधीनस्थ न्यायालय का ओदश उचित है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने जवाब दावे से विपरीत जाकर जो खातेदासी दी है, उस हद तक आदेश को निरस्त करते हुए उसमें संशोधन करना आवश्यक है ।
- अपीलांट गंगाराम जी के वारिस है एवं प्रतिवादी संख्या 02 से 2/4 नरसिंह जी के वारिस है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 01 से 08 की ओर से सामलाती जवाब दावा प्रस्तुत किया गया था, जिसमें जवाब दावे के पेज नंबर 06 के पैरा नम्बर 4 में यह अंकित किया गया है कि

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

''सह-खातेदारान के मध्य आपसी बंटवाड़ा वर्षो पूर्व हो गया जिसके अनुसार खसरा नंबर 531 तो गंगाराम के बंट एंव कब्जे में रहा तथा खसरा नं. 423 नरसिह जी के बंट एवं कब्जे में रहा।'' जवाब दावे के उक्त तथ्यों के अवलोकन ये यह बखूबी स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय को खसरा नम्बर 531 की 04 बीघा भूमि की खातेदारी अपीलांट को देनी थी, लेकिन उक्त खातेदारी में गलत रूप से 1/2 हिस्सा खेमसिंह वगैरा का दर्ज करने का आदेश दिया गया, जो जवाब दावा के तथ्यों से विपरित है। अधीनस्थ न्यायालय का या तो खसरा नं. 531 की 04 बीघा व खसरा संख्या 423 की 06 बीघा 12 बिस्वा भूमि की खातेदारी सामलाती रूप से अपीलांट एवं खेमसिंह वगैरा को देनी थी या जो आपसी सहमति से बंटवाड़ा है, उसके अनुसार पूरे खसरा नम्बर 531 की खातेदारी अपीलांट को देनी थी तथा खसरा नं. 423 की खातेदारी खेमसिंह वगैरा को देनी थी। उक्त अनवान के प्रकरण में प्रतिवादीगण ने अपना अधिवक्ता नियुक्त कर दिया था तथा जवाब दावा भी दे दिया था, जिस पर सभी प्रतिवादीगण के हस्ताक्षर है। बाद में पेशी पर ज्यादातर चेतन ही जाता था एवं उसने अपीलांट को यह बताया था कि वकील साहब कह रहे है कि जब भी जरूरत होगी तो बुला लेंगे। अपीलांट एक-दो बार अपने अधिवक्ता से भी मिला तो अधिवक्ता ने कहा कि अभी तो कोई आवश्यकता नही है, मोबाईल नंबर है जरूरत पड़ेगी तो बुला लेंगे। बाद रेस्पोडेंट खेमसिंह वगैरा की नियत में फर्क आ गया तथा उन्होंनें

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तथ्यों के विपरीत जाकर धारा 209 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया एवं इस तथ्य की जानकारी अपीलांट को नहीं दी एवं न ही ऐसे प्रार्थना पत्र पर अपीलांट के हस्ताक्षर है एवं अपीलांट के अधिवक्ता ने भी ऐसी कोई जानकारी अपीलांट को नही दी। उक्त स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को संशोधित करते हुए खसरा नंबर 531 की 04 बीघा भूमि की खातेदारी अपीलांट को एवं खसरा नं 423 रकबा 06 बीघा 12 बिस्वा भूमि की खातेदारी रेस्पोडेंट खेमसिंह वगैरा को देना उचित एवं न्यायसंगत है एवं इसी के अुनसार अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को संशोधित एवं दुरुस्त करना उचित एवं न्यायसंगत है। जहां तक अपीलांट की बहने श्रीमती चन्दुदेवी, श्रीमती लीला एवं श्रीमती तारा का प्रश्न है, उनके द्वारा रजिस्ट्रर्ड हकतर्कनामा अपीलांट के पक्ष में लिखा जा चुका है, इसलिए उन्हें प्रफोर्मा पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 11.11.2014 को निर्णय पारित किया गया, लेकिन निर्णय की जानकारी न तो खेमसिंह, चेतनसिंह ने अपीलांट को दी, न ही अधीनस्थ न्यायालय के अधिवक्ता द्वारा ऐसी कोई जानकारी अपीलांट को दी गई। अपीलांट को इस तथ्य की संर्वप्रथम जानकारी दिनांक 29.03.2015 को पटवारी के कहने से हुई तो दिनांक 30.03.2015 को नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। आवेदन प्रस्तुत कर उसी दिन नकल प्राप्त की, उसके पश्चात अपील लिखी गई, तैयार की गई एवं बिना किसी देरी श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है। धारा 05 लिमिटेशन एक्ट का

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रार्थना पत्र संलग्न पेश हैं, जो मियादशुमार की जावे और गुणावगुण पर अपील स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावें।

- अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.11.2014 को संशोधित एवं दुरुस्त करते हुए ग्राम मण्डोर दित्तीय के खसरा नं. 531 की 04 बीघा भूमि का खातेदार अपीलांट को एवं खसरा नं. 423 की 06 बीघा 12 बिस्वा भूमि की खातेदारी रेस्पोडेंट खेमसिंह वगैरा के नाम दर्ज करने का आदेश फरमावे।

जबाब में रेस्पो. की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने अपीलाधीन निर्णय का समर्थन करते हुए कथन किया कि--

- अपीलाण्ट्स द्वारा आलौच्य अपील अत्याधिक विलम्ब से पेश की गयी है और विलम्ब कण्डोन किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम में विलम्ब का कोई संतोषजनक कारण भी स्पष्ट नहीं किया है।
- अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 41 खेमसिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर विवेचन कर विधि अनुरुप निर्णय पारित किया है, जिसमे कोई त्रुटि कारित नही की है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज फरमायी जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अवलोकन किया गया।

प्रश्नगत प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत सामलाती जवाब दावे के पेज नं. 6 के पैरा नं. 4 के विवेचन से स्पष्ट है कि दोनो वापी पट्टो में वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि सहखातेरान के मध्य आपसी बंटवाड़ा वर्षो पूर्व हो गया जिसके अनुसार खसरा नं. 531 गंगारामजी के बंट एवं कब्जे में (अपीलांट संख्या 1 से 3 के पिता) तथा खसरा संख्या 423 नृसिंह जी के बंट एवं कब्जे में (रेस्पोडेंट संख्या 40 से 43) रहा। उक्त जवाब दावे पर सभी प्रतिवादीगण के हस्ताक्षर है।

अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत सामलामी जवाबदावे के तथ्यों को दरकिनार करते हुए केवल प्रतिवादी खेमसिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर विवेचन कर निर्णय पारित किया गया। जिस पर प्रतिवादी खेमसिंह के अलावा किसी अन्य पक्षकार में से किसी के हस्ताक्षर नही है।

जहॉ तक अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब का प्रश्न है, इस संबंध में अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम में प्रावधान है कि

Section 5 in The Limitation Act, 1963

5 Extension of prescribed period in certain cases. —Any appeal or any application, other than an application under any of the provisions of Order XXI of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), may be admitted after the prescribed period, if the appellant or the applicant satisfies the court that he had sufficient cause for not preferring the appeal or making the application within such period.

Explanation.— The fact that the appellant or the applicant was misled by any order, practice or judgment of the High Court in

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

ascertaining or computing the prescribed period may be sufficient cause within the meaning of this section.

अर्थात भारतीय समय सीमा अधिनियम की धारा 5 में यह प्रावधान किया गया है कि यदि प्रार्थी द्वारा न्यायालय को यह विश्वास दिला दिया जावे कि विलम्ब सद्भाविक, समुचित एवं संतोषजनक अपरिहार्य कारणों से हुआं है, जो कि प्रार्थी/अपीलाण्ट के वश में नहीं थे और ऐसा विलम्ब जानबूझ कर किसी लापरवाही या प्रमादवश नहीं किया गया, तो न्यायालय द्वारा न्यायहित में विलम्ब को क्षमा किया जा सकता है। आलौच्य मामले में अपीलाण्ट्स द्वारा अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम का अध्ययन करने पर पाया जाता है कि उक्त प्रार्थनापत्र में अपीलाण्ट द्वारा अपीलाधीन निर्णय बाबत जानकारी तब होना जाहिर किया, जब दिनांक 29.03.2015 को पटवारी के कहने से हुई तो दिनांक 30.03.2015 को नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। आवेदन प्रस्तुत कर उसी दिन नकल प्राप्त की, उसकें पश्चात अपील लिखी गई, तैयार की गई एवं बिना किसी देरी अदालत हाजा के समक्ष प्रस्तुत की। अतः अपील न्याय हित में गुणांवगुण पर निस्तारण हेतु मियाद शुमार की जाती है।

उपरोक्त विवेचन, जवाबदावा एवं पुर्व में हुए पारिवारिक बंटवाड़े को दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आपेक्षित निर्णय एवं डिक्री का समर्थन नही किया जा सकता। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को यथावत रखा जाना जाना उचित नहीं समझते है।

परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 107/2011 जगदीश सिंह बनाम यशोदा देवी इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 11 नवम्बर 2014 को संशोधित किया जाकर **ग्राम मण्डोर दित्तीय तहसील एवं जिला जोधपुर के खसरा नं. 531 की रकबा 04 बीघा 06 बिस्वा भूमि गंगारामजी के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/3 (अपीलार्थी संख्या 1 से 3) एवं खसरा नं. 423 की रकबा 06 बीघा 12 बिस्वा भूमि का नृसिंह जी के वारिसान् प्रतिवादी संख्या 2 से 2/4 (प्रतिवादी संख्या 40 से 43) को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।** तहसीलदार जोधपुर तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14/11/2020

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर